

CHATRA NAGAR PARISHAD

भारतगढ़ नगरपालिका अभिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित निचले मूल्य सम्पत्ती कर की सूचना
 Memo No.: 672174231221072047
 Date : 23-12-2021
 वर्षाधी : वृत्तीय तिमाही 2020-2021

आपकी/आपकी/आपकी MUSKAN KHANDELWAL D/O ALOK KUMAR KHANDELWAL,
 मोहल्ला CHATRA CHATRA
 CHATRA, 825401
 974-99518

यस द्वाारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका मूल्य सं. 21 हुआ है, आपके स्व, निर्धारण घोषणा पत्र के
 धारा 152 के तहत निर्धारण मूल्य 04-8, निर्धारित किया गया है।
 नोट: यह पत्र तिमाही कर निर्धारण प्रसार होगा।

| स्वनिर्धारित कर की सूचना | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| क्रम सं. | Particulars | Amount (In Rs.) |
| 1 | गृह कर | 91.00 |
| 2 | जल कर | 0.00 |
| 3 | सौभाग्य कर | 0.00 |
| 4 | विजली कर | 0.00 |
| 5 | अतिरिक्त गृह कर (यहां जल सरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण) | 0.00 |
| कुल राशि (पत्र तिमाही) | | 91.00 |



To be signed by the Applicant

[Signature box]

- यह सूचना जारी की जाती है, CHATRA NAGAR PARISHAD वेबसाइट www.chatranagar.org.in पर उपलब्ध है।
- निष्पत्ती की तिथि 11.4 के आलेख में उल्लेखित कर के आधार पर निर्धारित की जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति इस सूचना के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा तो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
 ध्यान देने की बात है कि, यहाँ जल संचयन संरचना बना कर निम्न को सुनिश्चित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से बचना पड़े।
- प्रत्येक तिमाही वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान अनिवार्य रूप से होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पत्ति कर का भुगतान अनिवार्य रूप से 30 दिन के भीतर नहीं किया जाता है, तो कार्यालय को 5% की दर से सजाय दी जा सकती है।
- यदि कोई भी व्यक्ति स्वनिर्धारित कर के आधार पर अतिरिक्त कर देता है, तो 1% प्रतिशत की दर से सजाय लगाई जायेगी।
- यदि कोई भी व्यक्ति स्वनिर्धारित कर के आधार पर अतिरिक्त कर देता है, तो 1% प्रतिशत की दर से सजाय लगाई जायेगी।
- यदि कोई भी व्यक्ति स्वनिर्धारित कर के आधार पर अतिरिक्त कर देता है, तो 1% प्रतिशत की दर से सजाय लगाई जायेगी।
- यदि कोई भी व्यक्ति स्वनिर्धारित कर के आधार पर अतिरिक्त कर देता है, तो 1% प्रतिशत की दर से सजाय लगाई जायेगी।
- यदि कोई भी व्यक्ति स्वनिर्धारित कर के आधार पर अतिरिक्त कर देता है, तो 1% प्रतिशत की दर से सजाय लगाई जायेगी।
- यदि कोई भी व्यक्ति स्वनिर्धारित कर के आधार पर अतिरिक्त कर देता है, तो 1% प्रतिशत की दर से सजाय लगाई जायेगी।
- यदि कोई भी व्यक्ति स्वनिर्धारित कर के आधार पर अतिरिक्त कर देता है, तो 1% प्रतिशत की दर से सजाय लगाई जायेगी।

NOTE: This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.